राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के अभिभाषक का नाम
1.	748/2024	गिरिराज पारीक	1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर। 3. जिला कलक्टर, जयपुर। 4. जय सिंह, नायब तहसीलदार, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।	1. श्री विजय दत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी 2. श्री मनोज ओजला/रणजीत सिंह गौड निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 3. श्री हेमंत धारीवाल राजकीय अधिवक्ता
2.	1349/2023	जय सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर, राजस्थान। 2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर। 3. जिला कलक्टर, जयपुर जिला, जयपुर। 4. श्री गिरधारी पारीक नायब तहसीलदार, रेनवाल मांझी, माधोराजपुरा, जयपुर ग्रामीण।	1. श्री मनोज ओजला, अभिभाषक अपीलार्थी 2. श्री विजय दत्त शर्मा, निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 3. श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 28.03.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

उक्त तालिका में दर्शित दोनों अपीलों में पक्षकार समान होने एवं बिन्दु निहित समान होने से दन दोनों अपीलों को एक साथ एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। दोंनों अपीलों में निजी प्रत्यर्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से केविएट दायर की गई है।

अपील संख्या 748/2024

इस अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी श्री गिरधारी पारीक का स्थानान्तरण रेनवाल मांझी तहसील माधोराजपुरा से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 श्री जय सिंह का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार तहसील मालपुरा जिला टोंक से रेनवाल मांझी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर किया गया है। अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि अपीलार्थी का प्रथम

नियुक्ति पटवारी के पद पर हुई एवं फिर भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हुई एवं उप तहसील जालसू तह. आमेर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को नायब तहसीलदार कार्यव्यवस्थार्थ आधार पर पदोन्नत कर आदेश दिनांक 22.10.2021 से उप तहसील गोविन्दगढ लगाया गया एवं आदेश दिनांक 19.08.2022 से भू प्रबंध अधिकारी कार्यालय सीकर में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.09.2022 द्वारा नायब तहसीलदार चाकसू लगाया गया (अनुलग्नक–2)। दो माह बाद ही आदेश दिनांक 04.11.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को उपतहसील रामपुरा डाबड़ी तह. आमेर में स्थानान्तरित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा उपतहसील रेनवाल मांझी तह. माधोराजपुरा जयपुर में लगाया गया। इसी आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी का माधोराजपुरा से जिला कलेक्ट्रेट टोंक में पदस्थापन किया गया। आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेनवाल मांझी तहसील माधोराजपुरा से बहरावण्डा जिला दौसा एवं निजी प्रत्यर्थी का अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 23.02.2023 (अनुलग्नक–5) के उल्लंघन में है। आलौच्य आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का 6 माह में ही स्थानान्तरण कर निजी प्रत्यर्थी को पुनः माधोराजपुरा पदस्थापित कर दिया। अपीलार्थी की पत्नी जयपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। अतः आलौच्य आदेश पति–पत्नी को यथा संभव नजदीक पदस्थापित करने की सरकारी नीति के विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा पत्नी की पे–स्लीप अनुलग्नक–6 पर है। आलौच्य आदेश बिना प्रशासनिक जरूरत के निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के उद्देश्य से जारी करने से अवैध दुर्भावनापूर्ण होने से अपास्त करने का निवेदन किया। इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी की तरफ से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपील संख्या 1349/2024

यह अपील अपीलार्थी श्री जय सिंह (अपील संख्या 748/2024 में निजी प्रत्यर्थी) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। इस आलौच्य आदेश में अपीलार्थी श्री जय सिंह एवं निजी प्रत्यर्थी श्री गिरधारी पारीक के पूर्व में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा किए गये स्थानान्तरण को निरस्त कर पूर्ववत रखे जाने का आदेश जारी हुआ है अर्थात अपीलार्थी जयसिंह का कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मालपुरा से रेनवाल मांझी तहसील माधोराजपुरा से बहरावण्डा जिला दौसा किया गया। स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत रेनवाल मांझी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत नायब तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक एवं निजी प्रत्यर्थी श्री गिरधारी पारीक का कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार रेनवाल मांझी जिला जयपुर ग्रामीण रखा गया है। अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि अपीलार्थी की प्रथम

नियुक्ति पटवारी के पद पर हुई एवं उसकी नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हुई एवं दिनांक 29.02.2024 से नायब तहसीलदार रेनवाल मांझी के पद पर कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरणाधीन दर्शित करते हुए पूर्व आदेश निरस्त कर तहसील मालपुरा में लगा दिया जिसकी पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया (अनुलग्नक–2)। आलौच्य आदेश द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मालपुरा (टोंक) से रेनवाल मांझी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर किया गया। इस आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29.02.2024 को कार्यग्रहण कर लिया एवं निजी प्रत्यर्थी ने सम्पूर्ण चार्ज अपीलार्थी को सौंप दिया। अपीलार्थी की मालपुरा से कार्यमुक्ति एवं रेनवाल मांझी में कार्यग्रहण रिपोर्ट अनुलग्नक–4 एवं 5 पर है। पूर्व आदेश को क्रियान्विति के पश्चात निरस्त किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गंगाराम विश्नोई के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप नहीं होने से एवं दुर्भावनापूर्ण होने से निरस्त योग्य है। आलौच्य आदेश स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबंध दिनांक 10.02.2024 से 22.02.2024 तक हटाया (अनुलग्नक–7 एवं 8)। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी को स्थानान्तरणाधीन बताते हुए मालपुरा में स्थानान्तरण किया है। आलौच्य आदेश अल्पावधि में जारी होने एवं अपीलार्थी को पुनः गृह जिला टोंक में पदस्थापित करने से अपास्त योग्य है। आलौच्य आदेश निजी प्रत्यर्थी को समंजन की दृष्टि से जारी किया गया है। आलौच्य आदेश में यात्रा भत्ता नियम 1971 का उल्लंघन किया गया है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 11.03.2024 मनमान, भेदभावपूर्ण, स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध होने से अपास्त करने का निवेदन किया है।

इस अपील में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति पटवारी के पद पर हुई। नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत होने पर विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहा है एवं आदेश दिनांक 31.07.2023 द्वारा उसे उप तहसील रेनवाल मांझी तह. माधोराजपुरा पदस्थापित किया एवं इसी आदेश से अपीलार्थी को जयसिंह को माधोराजपुरा से जिला कलेक्ट्रेट टोंक लगाया गया। राजस्व मंडल आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा निजी प्रत्यर्थी को बहरावण्डा लगा दिया एवं अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर रेनवाल मांझी तह. माधोराजपुरा लगाया गया। आदेश दिनांक 22.02.2024 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में जारी किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 23.01.2024 एवं 23.02.2023 (सही तिथी 23.02.2024) (अनुलग्नक–1 एवं 2) से स्पष्ट है कि निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिले एवं उन स्थानों पर पदस्थापित नहीं रखा जावे जहां लम्बे समय से पदस्थापित है। निजी प्रत्यर्थी के 3 साल में 6 स्थानान्तरण हुए है एवं 6 माह के

अन्दर ही आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा उसका स्थानान्तरण कर दिया। आदेश दिनांक 10.03.2024 की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने कार्यग्रहण कर लिया एवं अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जा चुका है (अनुलग्नक–3 एवं 4)। निजी प्रत्यर्थी को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर का मतदाता सूचियों एवं मतदाता सूचना पर्चियों की गुणवत्ता की मोनिटरिंग हेतु आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा नियुक्त किया जा चुका है। आदेश दिनांक 10.03.2024 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि स्थानान्तरण आदेश निर्वाचन आयोग/निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुरूप जारी किए गये है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता प्रभावी की जा चुकी है एवं निर्वाचन की विधिवत प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुका है। अतः जारी आदेशों में किसी भी हस्तक्षेप की स्थिति में निर्वाचन कार्यों में व्यवधान एवं असुविधा उत्पन्न होना संभावित है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपील संख्या 748/2024

यह अपील स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलार्थी श्री गिरिराज पारीक को रेनवाल मांझी तह. माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण से उपतहसील बहरावण्डा जिला दौसा एवं निजी प्रत्यर्थी श्री जयसिंह को तहसील मालपुरा (टोंक) से अपीलार्थी के स्थान पर लगाया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 द्वारा पूर्व में जारी स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कर दोनों के पदस्थापन को यथावत रख दिया, जिसके विरूद्ध श्री जय सिंह द्वारा अपील संख्या 1349/2024 प्रस्तुत की गई है। यह तथ्य है कि दोनों ही पक्षकारों अर्थात अपीलार्थी श्री गिरधारी पारीक एवं निजी प्रत्यर्थी श्री जय सिंह का दिनांक 22.02.2024 द्वारा किया गया स्थानान्तरण उनके तत्समय पदस्थापन पर लगभग 6 माह बाद ही कर दिया एवं आदेश दिनांक 10.03.2024 द्वारा इनके दिनांक 22.02.2024 द्वारा किए स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत रख दिया गया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 प्रशासनिक आवश्यकता के समुचित आंकलन के बिना ही जारी किया गया था, जिस कारण कुछ दिनों बाद ही इसे निरस्त कर दिया। हमारा मत है कि स्थानान्तरण आदेश जनहित में प्रशासनिक आवश्यकताओं के समुचित आंकलन के पश्चात जारी किए जाने चाहिए। उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि पश्चातवर्ती स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 की पालना में अपील संख्या 1349/2024 में निजी प्रत्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण किया जाकर अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जा चुका है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक

22.02.2024 दोनों पक्षकारों के संबंध में निरस्त होने से वर्तमान में प्रभावी नहीं रहा है। इस आधार पर अपील संख्या 748/2024 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अपील संख्या 1349/2024 प्रस्तुत अपील में आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 को चुनौती दी गई है, जिसमें दिनांक 22.02.2024 द्वारा किए गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी श्री जय सिंह को पुनः तहसील मालपुरा (जिला टोंक) एवं निजी प्रत्यर्थी श्री गिरधारी पारीक को पुनः रेनवाल मांझी तह. माधोराजपुरा में पदस्थापित किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी द्वारा उसकी अनुपालना में कार्यग्रहण किया जा चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्हें लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जारी किया गया है। लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत जारी स्थानान्तरण आदेशों के राज्य सरकार के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से बाधित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिबंध अवधि का आदेश निर्देशात्मक है एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश बाध्यकारी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव से जुडे लोक सेवक को गृह जिला में एवं ऐसे लोकसभा क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रखा जा सकता जहां वह गत 4 वर्षों में से 3 वर्ष पदस्थापित रहा हो। अपील संख्या 1349/2024 के अपीलार्थी श्री जय सिंह का गृह जिला तहसील टोडाराय सिंह जिला केकड़ी है एवं अपीलार्थी के पदस्थापन तालिका के अनुसार अपीलार्थी का लोकसभा क्षैत्र टोंक सवाईमाधोपुर में पदस्थापन अवधि सितम्बर 2023 से फरवरी 2024 है। निजी प्रत्यर्थी संख्या गिरधारी पारीक का गृह जिला जयपुर शहर है एवं इसका वर्तमान पदस्थापन रेनवाल मांझी तहसील माधोराजपुरा लोकसभा क्षैत्र दौसा में आता है। निजी प्रत्यर्थी की पदस्थापन तालिका से स्पष्ट है कि लोकसभा क्षेत्र दौसा में पदस्थापन अवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं है। लोकसभा आम चुनाव 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर आचार संहिता प्रभावी की जा चुकी है एवं राज्य में 12 लोकसभा निर्वाचन क्षैत्र में लोकसूचना जारी हो कर निर्वाचन प्रक्रिया विधिवत आरम्भ हो चुकी है। अतः उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि आलौच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः अपील संख्या 1349/2024 को खारिज किया जाता है।

उक्तानुसार दोनों अपीले निस्तारित की जाती है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 748/2024 में एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य अपील की पत्रावली में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)